

P. F. GIS & DCRG

भविष्य निधि ग्रुप बीमा योजना और मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान के लिये सम्मिलित नामांकन फार्म
COMBINED NOMINATION FORM FOR P. F. GIS & DCRG

जी 79 एफ / आर 7
G 79 F / R 7

(फार्म भरने के पहले संलग्न अनुदेश कृपया ध्यान से पढ़ें) / (Please read the attached instructions carefully before filling up the form)

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूँ और उन्हें निम्नलिखित राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ
 I hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him /her/them the right to receive

(क) मेरी मृत्यु के समय मेरे राजकीय रेल भविष्य निधि लेखा क्र. _____ के खाते में जमा राशि
 (a) The amount at my credit in my Account No. _____ of the SRPF, at the time of my death, & ;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कोई भी उपदान और सेवा में होते हुए मेरी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप बीमा योजना 1980 तहत मंजूर कोई राशि अपना मेरी सेवा निवृत्ति पर मिलने वाली राशि नीचे लिखें
 अनुसार मेरे खाते में बिना पुनर्दान किये जमा रख दी जाए।
 (b) Any Gratuity that may be sanctioned by Central Govt. & any amount that may be sanctioned by Central Govt. under the Central Govt. Group Insurance Scheme 1980, in the event of my death while in service or which having become payable to me on attaining the age of superannuation, may remain unpaid at my credit to the extent specified below :-

नामित व्यक्तियों के नाम एवं पते Name and address of the nominee (s)	नामित व्यक्तियों के साथ रेल कर्मचारी का रिस्ता Nominee (s) relationship with-railway servant	आयु Age	ग्रुप बीमा यो./मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान /भ.नि.की जमा राशि और उसमें से प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय रकम का भाग Amount of GIS/DCRG/PF accumulated and amount of share to be payable there from to each nominee	परिस्थितियां जिनके घटित होने पर ग्र. बी. यो./ मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान/ भ. नि. का नामन अमान्य हो जाएगा Contingencies on the happening of which the nomination of GIS/DCRG/ PF shall become invalid	रेल कर्मचारी की मृत्यु से पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में अपना रेल कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु ग्र.बी.यो./मृ. एवं निवृत्ति उपदान/भ. नि. पाने से पहले नामित व्यक्तिकी मृत्यु हो जाने की दशा में जिन व्यक्तियों को यदि कोई हो, नामित व्यक्ति को दिया गया अधिकार प्राप्त होगा, उनके नाम पते और संबंध Name, Address, Relationship of the person if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of pre-deceasing the Govt. servant or the nominee dying after death of the Rly. servant before receiving the payment of GIS/DCRG/PF	प्रत्येक को देय ग्रु बी. यो./ मृ. एवं निवृत्ति उपदान भ. नि. की रकम या उसका भाग Amount of share of his GIS/DCRG/PF payable to each
1	2	3	4	5	6	7
भविष्य निधि /PF						
मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान /DCRG						
ग्रुप बीमा योजना /GIS						

यह नामन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक _____ को किये गये नामन के अधिकरण में है, जिसे रद्द समझा जाय This nomination supercedes the nomination made by me earlier on _____ (date) which stands cancelled.

साक्षियों के हस्ताक्षर Signature of witnesses :

साक्षी का पूरा नाम Full name of witness

पदनाम स्टेशन कार्यालय Designation & Station

साक्षी के हस्ताक्षर Signature of witness

साक्षी का पूरा नाम Full name of witness

पदनाम स्टेशन कार्यालय Designation & Station

साक्षी के हस्ताक्षर Signature of witness

रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर (अंशकर्ता) Signature of Rly. servant (Subscriber)

स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम Full name in block letters

भविष्य निधि लेखा क्र. PF Account No.

पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name

जमाकर्ता विवाहित है या अविवाहित /Whether depositor is married or unmarried

पदनाम Post held

विभाग Department

स्टेशन Station

दिनांक Date

सामान्य अनुदेश / GENERAL INSTRUCTIONS

1. यदि एक ही व्यक्ति नामित हो, तो "व्यक्तियों" शब्द काट दिया जाए ।
 2. सरकारी कर्मचारी, अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान के आर-पार लाइन खींच दें, ताकि, उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई और नाम न लिखा जा सके ।
 3. कालम क्र. 4 इस प्रकार भरा जाए कि संपूर्ण जमा रकम का उल्लेख हो जाए ।
 4. कालम क्र. 7 में दर्शायी भाग की राशि, मूल नामित व्यक्ति को देय पूर्ण रकम/भाग हो ।
 5. यदि जमाकर्ता हिन्दु, मुसलमान, बौद्ध या भारतीय उत्तराधिकार (1925 का XXXIV) से अपवाद माना गया अन्य कोई व्यक्ति न हो, तो यह नामन उसके विवाह या पुनर्विवाह पर भविष्य निधि के मामले में पूर्णतः रद्द माना जाएगा ।
 6. भविष्य निधि/मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान नामांकन के संबंध में यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार हो, तो उसमें से कोई सदस्य अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का नामांकन किया जा सकता है ।
 7. ग्रुप बीमा योजना के नामांकन के संबंध में परिवार के किसी सदस्य/सदस्यों के नाम का ही नामांकन किया जा सकता है । यदि रेलवे कर्मचारी का परिवार न हो, तो वह नामांकन नहीं करेगा ।
 8. जहाँ तक संभव हो, घोषणा पत्र, जमाकर्ता के हाथों से हिन्दी/अंग्रेजी में स्याही से लिखा हुआ होना चाहिए और दोनों साक्षकर्ताओं की एकसाथ उपस्थिति में और सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और इन तीनों ने उनके हस्ताक्षर, पुरा कार्यालयीन पदनाम और पता लिखना चाहिए ।
 9. यदि जमाकर्ता अनपढ़ हो तो वह साक्षकर्ताओं के सामने प्रिंटर की स्याही से उसके बाएँ अंगुठे का निशान लगाएगा और अन्य अनुदेश ध्यान से देखेगा ।
 10. घोषणा पत्र में किसी प्रकार से किया गया सुधार, काटछाट, लिखाई के उपर लिखाई, अन्तर्वेशन नहीं चलेगा ।
 11. "संपूर्ण" शब्द अथवा प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय भाग अथवा शब्द या आंकड़ों में बतायी विशिष्ट रकम कालम क्र. 4 में दर्शाने चाहिए ।
 12. प्रतिबंधित घोषणा-पत्र वैध नहीं है ।
 13. एक बार बनाया वैध घोषणा पत्र, सिर्फ नया घोषणा पत्र बनाने के बाद ही रद्द समझा जाएगा ।
 14. भविष्य निधि के नामांकन के मामले में, खाता क्रमांक सही लिखा जाए ।
 15. भविष्य निधि के नामांकन के संबंध में, जिस कर्मचारी का परिवार न हो और वह किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करना चाहता हो तो उसे 5000/- रु. से अधिक तक की शेष राशि के भुगतान के लिये भविष्य निधि अधि. 1925 की धारा 4 के अनुसार कानूनी कागजात प्रस्तुत करने चाहिए ।
 16. तत्समय प्रवृत्त सभी घोषणा-पत्र मंडल/कारखाना लेखा अधिकारी के कार्यालय में दर्ज किए जायेंगे और जमाकर्ता की मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी द्वारा बाद में लिखे गये किसी भी वसीयत नामे पर ध्यान दिए बिना रेलवे भविष्य निधि, नियमों के अनुसार भुगतान देगे ।
1. The word 'Persons' shall be struck off, if only one person is nominated.
 2. The government servant should draw line across space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.
 3. Column No. 4 should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity.
 4. The amount of share shown in column No. 7 should cover the whole amount/share payable to the original nominees.
 5. When subscriber is not a Hindu, Muhammadian, Buddhist, & or any other person exempted from section on the Indian Succession Act 1925 (XXXIV of 1925) this nomination shall notwithstanding cancelled in its entirety on his marriage or remarriage in case of PF nomination.
 6. In the case of PF/DCRG nomination, in case the Railway employee has a family, only a member of the family can be nominated, otherwise any other person (s) can be nominated.
 7. In the case of PF nomination, nomination can only be in favour of member (s) of family, if the railway employee does not have a family, he cannot make any nomination.
 8. The declaration should be written in Hindi/English in ink in the handwriting of the depositor, whenever possible and must be signed by him in the presence of both the witnesses together and the full (Official) designation and address of the three given after their respective Signatures.
 9. If the depositor is illiterate, he must affix his left thumb impression in printer's ink before the witness, the other instructions being carefully observed.
 10. There should not be any correction, erasures, overwriting or interpolation in the declarations.
 11. The word "whole" or the share payable to each nominee or a specified sum expressed in words as well as figures should be shown in column 4.
 12. A conditional declaration is not valid.
 13. A valid declaration once executed can be revoked only by executing a fresh declaration.
 14. In case of PF nomination, correct account No. should be indicated.
 15. In case of PF nomination, where the employee does not have a family and wishes to nominate any other person legal documents required under Section 4 of the PF Act 1925 will be required, for payment, in case sum or balance exceeds Rs. 5,000/-

All the declaration for the time being in force will be recorded in the Chief Divl./Workshop Accounts Officer's Office and in the event of death of the depositor, payment will be made in accordance with the rules of the Railway Provident Fund without taking any notice of any subsequent WILL made by the deceased member.